90

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

एफ॰11(12)रेवे॰/ग्रुप-8/78/ जयपुर दिनांक 16-7-83

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार का विचार है कि वह क्षेत्र जिसकी अब स्थिति तथा सीमायें विनिर्दिष्ठ है घड़ियाल ग्रेवेलिस ग्रेन्गेटिक्स, और उन्य (क्रोकोडाय पाल्स्ट्रीस) की जाति तथा अन्य वन्यजीव बाहुल्य सुरक्षित करने प्रजतित क तथा विकसित करने के प्रयोजन के लिये और पर्यावरण के लिये पर्याप्त पारिधी तक और जीव जन्तुओंय सम्बन्धि महत्व का है।

अतः वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, (1972का केन्द्रीय अधिनियम 53 ) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा राजस्थान राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र को अभ्यारण्य के रूप मे घोषित करती है जो राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य के रूप मे जाना जावेगा ।

## अवस्थित तथा सीमाओं का विनिर्देश

1- जवाहर सागर बांध से कोटा बेराज तक का चम्बल नदी का वह अनुभाग जिसका प्रवाह दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व दिशा की है इसमे नदी के दोनो ओर के किनारों से 1000 मीटर की दूरी के भीतर स्थित भूमि की पट्टी सम्मिलित है।

2- केशोराय पाटन से पाली तक का चम्बल नदी का अनुभाग इसमे नदी के दोनो ओर के किनारों से 1000 मीटर की दूरी के भीतर स्थित भूमि की पट्टी सम्मिलित है।

3- पाली से आगे जहां चम्बल नदी राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्यों के बीच सीमा बनाती है वहां नदी की मध्य धारा से आ किनारे तक तथा नदी के आगे किनारे के साथ साथ राजस्थान उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश राज्यों के विभाजक बिन्दु तक का 1000 मीटर की दूरी से भीतर स्थित भूमि की पट्टी

यह इस विभाग की वन संरक्षण अधिसूचना दिनांक 7-12-79 के अतिक्रमण से जारी किया जाता है ।

राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
( ए0 एम0 लाल
शासन सचिव

True Copy

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय)
रणथम्भौर बाघ परियोजना करौली